राज्या सभा

अतारांकित प्रश्नय संख्य्ए2051

16 दिसम्बन्र 2015 को उत्तरर के लिए

इस्पात के आयात में कटौती

2051. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तरी और पूर्वी देशों से इस्पात के आयात में कमी लाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों में अर्ध-निर्मित इस्पात सहित इस्पात के आयात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयात वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू इस्पात उद्योग के संरक्षण और इस्पात के अवांछित क्षेपण पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तेर

इस्पाततऔर खान राज्यरमंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क): जी नहीं । विशेष रूप से उत्त्री और पूर्वी देशों से इस्पा त के आयात को सीमित करने का कोई प्रस्तातव नहीं है।

(ख): गत दो वर्षों और चालू वर्ष में अप्रैल-अक्तू बर के दौरान सेमी फिनिश्ड इस्पातत समेत इस्प्ात आयातों के ब्यौररे नीचे दिये गये है:-

मात्रा मिलियन टन में

वर्ष	सेमी फिनिश्ड इस्पाषत	कुल फिनिश्ड इस्पाषत	कुल इस्प्ात
2013-14	0.26	5.45	05.71
2014-15	0.70	9.32	10.02
अप्रैल-अक्तूदबर 2015-16	0.52	6.68	07.20

स्रोत: जेपीसी

(ग) और (घ): वर्ष 2014-15 और चालू वित्तीसय वर्ष में इस्पानत के आयातों में पर्याप्तत वृद्धि हुई है। इसका मुख्यप कारण विश्वे स्त र पर इस्प्ात की अधिकतर उपलब्धपता होना तथा चीन जैसे महत्वापूर्ण इस्प्ात उत्पादक देशों में इस्पात की मांग में कमी होना रहा है , जिससे कि इस्पाहत की अंतर्राष्ट्रीपय कीमत में गिरावट हुई है और भारत में आयात करना आकर्षक बन गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए देश में केवल गुणवत्ता पूर्ण इस्पापत के आयात की अनुमति हो और घरेलू इस्पारत उद्योग सुरक्षित बने सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये है:-

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गुणवत्ता युक्तन इस्पा त का आयात ,होसरकार ने इस्पालत और इस्पा त उत्पा(ेगुणवत्तान नियंत्रण) आदेश दिनांक 12.03.2012 को अधिसूचित किया है जिसे अन्ति म बार दिनांक 4.12.2014 को संशोधित किया गया है।

(ii) केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन फ्लैट दोनों इस्पा ेत पर सीमा शुल्कथ की उच्चांतम दर10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।

(iii) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टी6ल (फ्लैट एवं लांग) स्टे नलैस स्टीाल (लांग)और नान-अलॉय लांग उत्पा द पर आयात शुल्कक प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया तथा नान अलॉय और अन्य अलॉय फ्लैट उत्पारदों पर यह शुल्कश 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है। इसे पुन: अगस्तश2015 में संशोधित करके फ्लैट स्टीढल पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत, लांग स्टीुल पर 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और अर्द्ध फिनिश्ड स्टीसल पर7.5 से 10 प्रतिशत किया गया है।

(iv) सरकार ने नवम्बरर, 2014 में निर्देश दिया गया है कि रिबार्स के आयात केवल 'इस्पा़त उत्पावद गुणवत्तान नियंत्रण आदेश2012' के अनुसार ही हों, ताकि बोरोन युक्तप रिबार्स के सस्तेv आयातों को रोका जा सके।

(v) सरकार ने जून, 2015 में स्टे,नलैस स्टील के कतिपय किस्मों के हॉट रोल्डत फ्लैट उत्पा़दों के चीन)$ 309 प्रति टन), कोरिया ($ 180 प्रति टन) और मलेशिया ($ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई है।

(vi) सरकार ने सितम्ब9र, 2015 में 200 दिनों की अवधि के लिए 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वा़यलों में नान अलॉय और अन्यट अलॉय स्टी ल के हॉट रोल्डक फ्लैट उत्पा़दों पर 20 प्रतिशत का अनन्तिम सुरक्षोपाय शुल्क लगाया गया है।

***